

**पेंशन से संबंधित विभिन्न शासनादेश**

क्रमांक	शासनादेश संख्या	दिनांक	अनुभाग	विषय
1	जी-2-769 / दस-917 / 1961	24-08-1966	वित्त (सामान्य-2) विभाग	नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965
2	सा0-3-जी0आई0-88 / दस-909-87	<b>20-03-1987</b>	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	लापता सरकारी सेवकों को मृत मानते हुए उनके परिवारों को उनके सेवा नैवृत्तिक लाभों तथा अन्य अवशेषों का भुगतान।
3	बीमा-408 / दस-105(ए) 91 (टी0सी01)	<b>17-10-1997</b>	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान।
4	सा-3-1513 / दस-97-2 / 81 टीसी	12-11-1997	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	पारिवारिक पेंशन की पात्रता- विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त संतानों को पारिवारिक पेंशन।
5	सा-3-1509 / दस-2011	08-11-2011	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	आगामी दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सूची जारी करने से संबंधित शासनादेश।
6	1 / सा-3-482 / दस-2014-308 / 97	20-05-2014	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	राज्य सरकार के पेंशनरों / मृत कर्मचारियों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों का नाम पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना।
7	सा-3-227 / दस-2014-308 / 97	01-07- 2014	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता सूची के संबंध में स्पष्टीकरण।
8	9-सा-3-850 / दस-2014-301(18) / 2013	18-09-2014	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	आनलाइन पेंशन स्वीकृत प्रणाली ई पेंशन सिस्टम को लागू किया जाना।
9	3 / 2016-सा-3-03 / दस-2016-19 / 292 टीसी	13-01-2016	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	दो पारिवारिक पेंशनो की अधिकतम धनराशि की सीमा में संशोधन।
10	14 / 2016-सा-3-341 / दस-2016-944 / 88	12-05-2016	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनकी सेवापुस्तिका हस्तगत कराया जाना।
11	38 / 2016-सा-3-923 / दस-2016-308 / 2016	23-12-2016	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	वेतन समिति उ0प्र0 (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- पेंशन / उपादान / संराशीकरण / पारिवारिक पेंशन / एकमुश्त अनुग्रह राशि का विनियमन करने वाले प्रावधानों का संशोधन <b>मृत्यु ग्रेच्यटी की सीमा में संशोधन एवं एक्सग्रेसिया की धनराशि में वृद्धि।</b>

12	39 / 2016-सा-3-921 / दस-2016-308 / 2016	23-12-2016	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारि0 पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन- <b>पेंशन को 2.57 से गुणा कर आगणित किये जाने के संबंध में।</b>
13	11 / 2016-सा-3-236 / दस-2016-301(8) / 2015	18-04-2016	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	उत्तर प्रदेश सिविल सर्विज सेग्युलेशन्स के अनुच्छेद-468 का स्पष्टीकरण।
14	2 / 2016 / सा-3-86 / दस-2017 / 308 / 2016	20-02-2017	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन-बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में।
15	03 / 2017-सा-3-99 / दस-2017-308 / 2016	06-03-2017	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	दि 01.01.2016 के पूर्व लागू वेतन संरचना में स्वीकृत अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण
16	09 / 2017 / सा-3-120 / दस-2017-909 / 1987	13-04-2017	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	लापता सरकारी सेवकों/पेंशनरों के परिवार के अर्ह सदस्य को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति। सपठित उपर्युक्त शासनादेश दिनांक <b>20-03-1987 एवं 17-10-1997</b>
17	13 / 2017 / सा-3-रिट-103 / दस-2017 / 328 (122) / 2016	14-06-2017	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	कार्य प्रभारित अधिष्ठान में की गयी सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाभों के प्रयोजनार्थ अर्हकारी सेवा न माना जाना
18	23 / 2017 / सा-3-329 / दस-2017 / 308 / 2016	18-07-2017	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन - <b>दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का निर्धारण।</b>
19	31 / 2017 / सा-3-524 / दस-2017 / 308 (8) / 2016	04-09-2017	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/ पारिवारिक पेंशन भोगियों आदि की पेंशन का संशोधन-दिनांक 01.01.2016 से निर्धारित होने वाले पेंशन एव पारिवारिक पेंशन की गणना के संबंध में <b>वेतन प्रक्रमवार तालिका।</b> (सपठित शासनादेश दिनांक 18.07. 2017 )
20	32 / 2017 / सा-3-324 / दस-2017 / 301(8) / 2015	05-10-2017	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	वित्त विभाग के अधिसूचना सं0-8/2016/सा-3-179/ दस-2016-301(8)/2015 दि 28.03.2016 तथा उ0प्र0 सिविल सर्विसेज(संशोधन) नियमावली 2016 का स्पष्टीकरण
21	34 / 2017 / सा-3-313 / दस-2017-308 / 2016 द्वितीय	10-10-2018	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	राज्य सरकार की सेवा से सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों/साविधिक निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्थायी रूप से संविलीन कार्मिकों की राजकीय सेवाओं हेतु अनुमन्य पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से संशोधन।

22	17 / 2018 / सा-3-327 / दस-2018-308 / 2016	30-05-2018	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	शासनादेश दिनांक 18-07-2017 एवं सपटित शासनादेश दिनांक 04-09-2017 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण का कार्य शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाना ।
23	19 / 2018 सा-3-276 / दस -2018-904 / 94 टी0सी0	30-08-2018	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिसूचना दि 02.11.95 में निर्धारित समय सारणी का कडाई से अनुपालन किया जाना । (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण एवं विलम्ब परिवर्जन नियमावली 1995)
24	21 / 2018 / सा-3-484 / दस-2018-308 / 2016	19-09-2018	वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	वर्ष 2016 के पूर्व के सेवाकाल में मृत हुये राजकीय कार्मिकों की असाधारण पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में ।